

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 944

मंगलवार, 27 जुलाई, 2021/05 श्रावण, 1943 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव**

**944. श्री इलामारम करीम:**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों के नुकसान का कोई अनुमान है;
- (ख) प्राप्त राजस्व के संदर्भ में कोविड-19 और लॉकडाउन का पर्यटन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है; और
- (ग) सरकार द्वारा कोविड के बाद इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने “भारत तथा कोरोनावायरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और पुनर्वास संबंधी नीतियां” विषय पर एक अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

- वर्ष 2020-21 में समग्र आर्थिक मंदी के कारण पर्यटन अर्थव्यवस्था अथवा पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्यवर्धन (टीडीजीवीए) में पहली तिमाही में 42.8%; दूसरी तिमाही में 15.5% और तीसरी तिमाही में 1.1% की गिरावट देखी गई।
- अनुमान है कि महामारी के दौरान पर्यटक आगमन में और उसके परिणामस्वरूप पर्यटन संबंधी व्यय में आई अत्यधिक गिरावट के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में टीडीजीवीए पिछले वर्ष की समान तिमाही के स्तर की तुलना में 93.3 प्रतिशत गिर गया था। दूसरी तिमाही में कुछ बेहतर प्रदर्शन के साथ यह गिरावट 79.5% और तीसरी तिमाही में 64.3% के स्तर पर रही।
- लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार का नुकसान हुआ। पहली तिमाही के दौरान 14.5 मिलियन दूसरी तिमाही के दौरान 5.2 मिलियन और तीसरी तिमाही के दौरान 1.8 मिलियन रोजगार के नुकसान का आकलन है जबकि वर्ष 2019-20 की महामारी से पहले की अवधि में अनुमानित 34.8 मिलियन रोजगार (प्रत्यक्ष रोजगार) था।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यटन से सृजित राजस्व संबंधी आंकड़ों का संग्रहण नहीं किया जाता है।

(ग): कोविड-19 के बाद पर्यटन क्षेत्र की बहाली के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध** में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव के संबंध में दिनांक 27.07.2021 के राज्य सभा लिखित प्रश्न सं. 944 के भाग (ग) के उत्तर में **विवरण**

सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और राहत उपाय निम्न लिखित हैं, जिनसे कोविड-19 के पश्चात् पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार होने की आशा की जाती है :

- i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी।
- ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।
- iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लिए 10% कर दिया गया है।
- iv. स्रोत पर कर एकत्रण (टीसीएस) को अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- v. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगित, बाकी पर 9% की दर से दंडात्मक ब्याज।
- vi. केंद्र सरकार ने भी व्यापार निरंतरता और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।
- vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।
- viii. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) को लागू करने के लिए धन का उपयुक्त प्रावधान अब वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है ।
- ix. भारत सरकार ने पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है।
- x. ईसीएलजीएस 3.0 की शुरुआत के साथ आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। यह योजना 31.03.2021 तक वैध है।
- xi. ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है।
- xii. 16.06.2021 को, माननीय वित्त मंत्री ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की घोषणा की है।
- xiii. 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइड/ यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई ऋण गारंटी योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लोगों को कोविड-

19 के कारण प्रभावित होने के बाद देनदारियों के निर्वहन और फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी/ व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 10,700 क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक (टीटीएस) कवर किया जाएगा। टीटीएस प्रत्येक को 10 लाख रुपये तक का ऋण पाने के लिए पात्र होंगे। जबकि पर्यटक गाइड प्रत्येक को एक लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फोरक्लोजर/पूर्व भुगतान शुल्क में छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा एनसीजीटीसी के माध्यम से योजना संचालित की जाएगी।

- xiv. 5 लाख मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले पांच लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। पहले पांच लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार निःशुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।
- xv. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- xvi. इन उपरोक्त कदमों से इस क्षेत्र के हितधारकों को बहुत आवश्यक तरलता प्रदान करने और निकट भविष्य में संचालन के लिए तैयार होने में काफी मदद मिलने की आशा है। इसी तरह, सरकार द्वारा अनुमोदित पर्यटन गाइडों को भी आवश्यक राहत प्रदान करने की भी आशा है जो महामारी के कारण क्षेत्र में चल रही मंदी से प्रभावित हुए हैं।
- xvii. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना के तहत, निम्नलिखित उप-श्रेणियों को अवसंरचना के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में शामिल किया गया था: (i) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटल, (ii) रोप-वे और केबल कार।
- xviii. अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के माध्यम से, "प्रदर्शन-सह-सम्मेलन केंद्र" को एक फुटनोट के साथ, प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र को परिभाषित करते हुए, "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में एक नई वस्तु को सम्मिलित करके अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है।
- xix. मंत्रालय में कई दौर की चर्चाओं और विचार-मंथन सत्रों के माध्यम से उद्योग के हितधारकों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहा है और उनके सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की है। ऐसे सभी प्रस्तावों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उठाया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित राहत उपायों से संबंधित मुद्दों को उनके साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया है।

- xx. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।
- xxi. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।
- xxii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "साथी" (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।
- xxiii. इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 08.12.2020 को पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो जनवरी, 2021 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीनशूट/स्टार्ट-अप एजेंसियों की श्रेणी पहली बार शुरू की जा रही है। स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए यह सरकार की नीति के अनुरूप है और यह 'आत्मनिर्भर भारत' की नीति को भी आगे बढ़ाएगा।
- xxiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।
- xxv. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने "देखो अपना देश" के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है।
- xxvi. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
- xxvii. पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल एजेंटों, दूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता को स्वचालित रूप से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए आवेदन जमा किए हैं, उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरे होने तक छह महीने के लिए अनंतिम मान्यता दी गई है।
- xxviii. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।